



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032025-261896
CG-DL-E-24032025-261896

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2025/ फाल्गुन 30, 1946

No. 227]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2025/PHALGUNA 30, 1946

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2025

फा.सं. 18-32/15469-आईएनसी:-समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :-

जबकि, हेलाल नर्सिंग इंस्टीट्यूट पोस्ट कलिथा, थाना नलहटी, ग्राम मथकलीथा, तहसील नलहटी-2, जिला बीरभूम (पश्चिम बंगाल) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार तथा पश्चिम बंगाल राज्य उपचर्या परिषद् द्वारा जीएनएम पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

हालांकि, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम ("अधिनियम") की धारा 13(1) के अनुसार, भारतीय उपचर्या परिषद् ("परिषद्") को राज्य प्राधिकरणों द्वारा प्रशिक्षण संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान का निरीक्षण करने का अधिकार है। लेकिन, जब परिषद् द्वारा नियुक्त निरीक्षक कॉलेज पहुँचे, तो उन्हें वैधानिक निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई।

हालांकि, कॉलेज को नोटिस संख्या 18-32/15469-आईएनसी दिनांक 26.12.2023 जारी कर निरीक्षण से इनकार करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसमें जवाब देने के लिए कॉलेज को 15 दिन का समय दिया गया था। लेकिन, कॉलेज उक्त कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब/टिप्पणी भेजने में

असफल रहा है। तत्पश्चात्, अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों तहत प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को एक नोटिस संख्या 18-32/15469-आईएनसी (57927) दिनांक 09.05.2024 को जारी किया गया था, जिसमें उनसे कॉलेज द्वारा परिषद को वैधानिक निरीक्षण करने की अनुमति देने से इनकार करने के मुद्दे पर उनकी टिप्पणी/राय मांगी गई थी। लेकिन, परिषद को कोई टिप्पणी नहीं मिली है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। किसी भी कॉलेज द्वारा वैधानिक निरीक्षण से इनकार करने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि ऐसा संस्थान परिषद् द्वारा निर्धारित विनियमों और पाठ्यक्रम का पालन नहीं करता है तथा नर्सिंग क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए उपयुक्त नहीं है।

अतः, अधिनियम की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 26.10.2024 से **हेलाल नर्सिंग इंस्टीट्यूट पोस्ट कलिथा, थाना नलहटी, ग्राम मथकलीथा, तहसील नलहटी-2, जिला बीरभूम (पश्चिम बंगाल)** से जीएनएम मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल राज्य नर्सिंग परिषद के आदेशों के अधधीन केवल **पश्चिम बंगाल राज्य** में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./1089/2024-25]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 10th March, 2025

F.No. 18-32/15469-INC:— In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, Government of West Bengal and West Bengal State nursing Council had granted recognition to **Helal Nursing Institute** situated at **P.O- Kalitha, P.S- Nalhati, Vill.- Mathkalitha, Tehsil – Nalhati-2, Distt. Birbhum, West Bengal** ("College") for running **GNM** course.

Whereas, in terms of Section 13 (1) of the Indian Nursing Council Act ("Act"), the Indian Nursing Council ("Council") has the power to inspect any Institution recognized as a training institution by State authorities. However, when the inspectors appointed by the Council reached the College, they were not allowed to carry out the statutory inspections.

Whereas, notice no. 18-32/15469-INC dated 26.12.2023 was issued to the College seeking their explanation for refusal of inspection. That 15 days were given to the College to respond. However, the College has failed to send any reply/ comments to the said show cause notice. Further, a notice no. 18-32/15469-INC (57927) dated 09.05.2024 was issued to the Principal Secretary, Health and family welfare department (state government of West Bengal) asking them for their remarks/ comments on the issue of refusal by the College to allow the Council to conduct statutory inspection. However, no comments were received by the Council.

Whereas, the Executive Committee of the Council had considered the aforesaid matter in its entirety. In cases of refusal of statutory inspection by any college, it shall be assumed that such institution does not follow the regulations and syllabus prescribed by the Council and is not suitable to grant training in nursing field.

Hence, therefore, the Council in exercise of its power conferred under Section 14 (3)-(b) of the Act declares that with effect from 26.10.2024, any person obtaining a qualification of **GNM** from **Helal Nursing Institute** situated at **P.O- Kalitha, P.S- Nalhati, Vill.- Mathkalitha, Tehsil – Nalhati-2, Distt. Birbhum, West Bengal**.

Lt. Col. (Dr.) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./1089/2024-25]